

7- आयु -

सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं, और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, **18 वर्ष** का हो जाना चाहिए और **40 वर्ष** से अधिक नहीं होना चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

8-चयन का आधार -

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा तथा उत्तर प्रदेश भेषजिक सेवा नियमावली, 1980 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संख्या-4(डी)2/2021/फार्मा0/अधि0/167/2025/463, दिनांक-23-04-2025, पत्र संख्या- 4डी(2)/2021/167/592, दिनांक-12-06-2025 के अनुसार की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

भेषजिक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् $\frac{1}{4}$ होगी।

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समय अवधि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

होगा-

क्रमांक	विषय	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित कुल अंक	समयावधि
भाग-1	विषयगत ज्ञान	65	65	दो घण्टा (120 मिनट)
भाग-2	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-3	उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		100	100	

पाठ्यक्रम

भाग-1

(विषयगत ज्ञान)

- (1) औषध विज्ञान - अम्ल, क्षार और बफर, एंटीऑक्सिडेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, टॉपिकल एजेंट, रोगाणुरोधी और कसैले, दंत उत्पाद, श्वसन उत्तेजक, एक्सपेक्टेंट और इमेडिक्स, एंटीडोट्स, प्रमुख इंद्र और एक्स्ट्रा सेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स, अकार्बनिक आधिकारिक यौगिक, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और कंट्रास्ट मीडिया, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स का गुणवत्ता नियंत्रण, फार्माकोग्नोसी परीक्षण।
- (2) फार्माकोग्नोसी- जुलाब, कार्डियोटोनिक्स, कार्मिनेटिव और जी.आई. नियामक, कसैले पदार्थ, तंत्रिका तंत्र पर काम करने वाली दवाएं, उच्चरक्तचापरोधी, एंटीट्यूसिक्स, एंटीह्यूमेटिक्स, एंटीट्यूमर, एंटीलेप्रोटिक्स, एंटीडायबिटिक्स, मूत्रवर्धक, एंटीडिसेंटरिक्स, एंटीसेप्टिक्स और कीटाणुनाशक, मलेरिया-रोधी, ऑक्सीटोसिक्स, विटामिन, एंजाइम, इत्र और स्वाद देने वाले एजेंट।
- (3) बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी- बायोकेमिस्ट्री का परिचय, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, चिकित्साविधान।
- (4) मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान - शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान का दायरा, प्राथमिक ऊतक, कंकाल प्रणाली, हृदय प्रणाली, श्वसन प्रणाली, मूत्र प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग, पाचन तंत्र, अंतःसावी प्रणाली, प्रजनन प्रणाली।
- (5) स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक फार्मेसी- स्वास्थ्य की अवधारणा, पोषण और स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, पर्यावरण और स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीव विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, संचारी रोग, आंतों का संक्रमण, आश्रिणोड जनित संक्रमण, सतही संक्रमण, यौन संचारित रोग, गैर-संचारी रोग, महामारी विज्ञान।
- (6) फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र- भारत में फार्मास्यूटिकल कानून की उत्पत्ति और प्रकृति, पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत और महत्व, फार्मेसी अधिनियम 1948, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, औषधि और जादुई उपचार (आणतिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, नवीनतम औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, जहर अधिनियम 1919 (अद्यतन संशोधित),

औषधीय और शौचालय नैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (अद्यतन संशोधित)।

- (7) फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी- दवाओं के प्रशासन के मार्ग, दवाओं की कार्रवाई का सामान्य तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करने वाली दवाएं, श्वसन प्रणाली पर काम करने वाली दवाएं, ऑटोकोइड्स, कार्डियो संवहनी दवाएं, गुर्दे के कार्य को प्रभावित करने वाली दवाएं, हार्मोन और हार्मोन विरोधी, पाचन तंत्र पर काम करने वाली दवाएं, माइक्रोबियल रोगों की कीमोथेरेपी, कीटाणुनाशक और एंटीसेप्टिक्स।
- (8) ड्रग स्टोर और व्यवसाय प्रबंधन- परिचय, ड्रग हाउस प्रबंधन, बिक्री, भर्ती, प्रशिक्षण, बैंकिंग और वित्त।
- (9) हॉस्पिटल एवं क्लिनिकल फार्मैसी - हॉस्पिटल, हॉस्पिटल फार्मैसी, दवा वितरण, अस्पतालों में प्रणाली, विनिर्माण, स्टोराइल निर्माण, गैर-स्टोराइल निर्माण, पी.टी.सी. (फार्मैसी चिकित्सीय समिति), हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम, ड्रग सूचना सेवा, सर्जिकल ड्रेसिंग।
- नोट- विषय ज्ञान के प्रश्नों का स्तर डिप्लोमा इन फार्मैसी स्तर का होगा।

भाग-2

(कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान)

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग।
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान-
 - हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर।
 - इनपुट एवं आउटपुट।
 - इन्टरनेट प्रोटोकॉल/आईपीओ एड्रेस।
 - आईटीडी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग।
 - ई-मेल आईडी को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन।
 - प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन।
 - वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं एक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्व।
 - ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस।
- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग।
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा।
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

भाग-3

(उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी)

उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु,

मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि।

**Examination Plan and Syllabus of Main Examination (Written Examination) for
selection to the vacant posts of direct recruitment of Pharmacist**

There will be one question paper in the written examination, which will contain 100 questions and the total time duration will be two hours. The questions of the examination will be objective and multiple-choice type. Each question will be of one mark. There is a provision of negative marking for each wrong answer, which will be 25 percent i.e. $\frac{1}{4}$ of the marks prescribed for that question.

Examination Plan

The parts of examination, subject, number of questions, total marks and time period will be as per the details given below-

Part	Subject	Number of Questions	Total Marks	Time Period
Part-1	Subject related knowledge	65	65	Two Hours (120 Minutes)
Part-2	Knowledge of concepts of Computer and Information Technology and contemporary technological development and innovation in this field	15	15	
Part-3	General information related to the State of Uttar Pradesh	20	20	
Total		100	100	

SYLLABUS

Part-1

(Subject related Knowledge)

- 1- **Pharmaceutics** - Acids, bases and buffers, Antioxidants, Gastrointestinal agents, Topical Agents, Antimicrobials and Astringents, Dental Products, Respiratory stimulants, Expectorants and Emetics, Antidotes, Major Intra and Extra cellular electrolytes, Inorganic official compounds, Radio pharmaceuticals and contrast media, Quality control of Drugs and pharmaceuticals, Pharmacognosy tests.
- 2- **Pharmacognosy**- Laxatives, Cardiotonics, Carminatives & G.I. regulators, Astringents, Drugs acting on nervous system, Antihypertensive, Antitussives, Antirheumatics, Antitumour, Antileptotics, Antidiabetics, Diuretics,

Antidysenteries, Antiseptics and disinfectants, Antimalarials, Oxytocics, Vitamins, Enzymes, Perfumes and flavoring agents.

- 3- Biochemistry & Clinical Pathology- Introduction to biochemistry, Carbohydrates, Lipids, Vitamins, Enzymes, Therapeutics.
- 4- Human Anatomy and Physiology- Scope of Anatomy and physiology, Elementary tissues, Skeletal System, Cardiovascular System, Respiratory system, Urinary System, Muscular System, Central Nervous System, Sensory Organs, Digestive System, Endocrine System, Reproductive system.
- 5- Health Education & Community Pharmacy- Concept of health, Nutrition and health, First aid, Environment and health, Fundamental principles of microbiology, Communicable diseases, Intestinal infection, Arthropod borne infections, Surface infection, Sexually transmitted diseases, Non-communicable diseases, Epidemiology.
- 6- Pharmaceutical Jurisprudence- Origin and nature of pharmaceutical legislation in India, Principles and significance of professional Ethics, Pharmacy Act, 1948, The Drugs and Cosmetics Act, 1940, The Drugs and Magic Remedies (objectionable Advertisement) Act, 1954, Narcotic Drugs and psychotropic substances Act, 1985, Latest Drugs (price control) order, Poisons Act 1919 (as amended to date), Medicinal and Toilet preparations (excise Duties) Act, 1955, Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (as amended to date).
- 7- Pharmacology & Toxicology- Routes of administration of drugs, General mechanism of drugs action, Drugs acting on the central Nervous system, Drugs acting on respiratory system, Autocoids, Cardio vascular drugs, Drugs affecting renal function, Hormones and hormone antagonists, Drugs acting on digestive system, Chemotherapy of microbial diseases, Disinfectants and antiseptics.
- 8- Drug Store and Business Management- Introduction, Drug House Management, Sales, Recruitment, training, Banking and Finance.
- 9- Hospital & Clinical Pharmacy - Hospital, Hospital Pharmacy, Drug Distribution, system in Hospitals, Manufacturing, Sterile manufacture, Non-sterile manufacture, P.T.C. (pharmacy Therapeutic Committee), Hospital Formulary system, Drug Information service, Surgical dressing.

Note- The level of questions on Subject Knowledge will be of Diploma in Pharmacy level.

Part-2

(Knowledge of Concepts of Computer and Information Technology and Contemporary Technological Development and Innovation in this field)

- History, Introduction and Application of Computer, Information Technology, Internet and World Wide Web (WWW).
- General Knowledge related to:
 - Hardware and Software.
 - Input and Output.
 - Internet Protocol/IP Address.
 - IT gadgets and their applications.
 - Creation of e-mail ID and use/operation of e-mail.
 - Operation of Printer, Tablet and Mobile.
 - Important elements of Word Processing (MS-Word) and Excel Processing (MS-Excel).
 - Operating System, Social Networking, e-Governance.
- Digital Financial Tools and Applications.
- Future Skills and Cyber Security.
- Technological Development and Innovation in the field of Computer and Information Technology (Artificial Intelligence, Big Data Processing, Deep Learning, Machine Learning, Internet of Things) and India's achievements in this field etc.

Part-3

(General information related to The State of Uttar Pradesh)

History of Uttar Pradesh, Culture, Art, Architecture, Festivals, Folk Dances, Literature, Regional Languages, Heritage, Social Customs and Tourism, Geographical Landscape and Environment, Natural Resources, Climate, Soil, Forests, Wildlife, Mines and Minerals, Economy, Agriculture, Industry, Business and Employment, Polity and Administration, Current Events and achievements of Uttar Pradesh State in various fields etc.

10- परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2026, भेषजिक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/02 की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को [अंतिम कटऑफ अंक तक नार्मलाइज्ड स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए] लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई, 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या-42/05/विज्ञा0 अनु0 (ग्यारह)/2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

Handwritten signatures and marks.

Handwritten mark.